

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 387]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2011—श्रावण 21, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 4966-287-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 अगस्त, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २९ सन् २०११.

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, २०११.

[दिनांक ८ अगस्त, २०११ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १२ अगस्त, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ७ सन् १९५७) की धारा ३ में, शब्द "एक सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर, शब्द "दो सौ करोड़ रुपये" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 4967-287-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 29 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 29 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT)
ACT, 2011.

[Received the assent of the President on the 8th August, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th August, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 2011.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Contingency Fund Act, 1957 (No. 7 of 1957), for the words "one hundred crores rupees", the words "two hundred crores rupees" shall be substituted.